कार्यालय प्राचार्य
शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर (अहिवारा) जिला - दुर्ग (छ. ग.)
Website: www.gnkmahiwara.com E-Mail: nkmnandini@gmail.com
Phone No. 07821-257434

क्रमांक /1379/GNKM/ स्था. 2026 नंदिनी नगर दिनांक:- 21/09/2026

परिशिष्ट-1

# अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

**शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर अहिवारा जिला - दुर्ग** (छ.ग.) में सहा. प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन अंतिम **दिनांक 30/09/2026 को सायं 05.30** बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट-1 अ

## //अतिथि अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप //

कार्यालय आयुक्त, उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक क्रमांक ESTB-2035/637/2026-RAJPATRIT STHAPANA / आउशि/राज. स्था./अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 18/08/2026 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक ESTB-1027/1216/2025/38-1नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18/08/2026 के अनुसार **शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर अहिवारा जिला - दुर्ग** (छ.ग.) मे विषय – **वाणिज्य** में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन **दिनांक 30/09/2026 को सायं 05.30** बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

**आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:**

1 अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक / ग्रंथालय सहायक / क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु-1 के समान् न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य-विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3. **आयु सीमा** - अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल / अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक / क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।

21.09.2026 21/09/26

4. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता (Guest Lecturer) भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

**विषय / पदों का विवरण :**

| क्रमांक | विषय | रिक्त पद एवं संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राध्यापक | सह-प्राध्यापक | सहा प्राध्यापक | ग्रंथपाल | क्रीड़ाधिकारी |
| 1 | वाणिज्य | --- | --- | 01 | --- | --- |

**टीप:** - संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति / नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

**शर्तें : -**

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं. स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. अंतिम तिथि दिनांक **30/09/2026** तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

03. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन **दिनांक 05/10/2026** विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।

05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि **08/10/2026** तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक **09/10/2026** को दिया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अन्यर्थी किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिधि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. **मानदेय:-**

अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार होना प्रस्तावित है :-

- अतिथि व्याख्याता मानदेय 2000/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/-)
- अतिथि ग्रंथपाल / क्रीडा अधिकारी 1600/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 40,000/-)
- अतिथि शिक्षण सहायक- 1400/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/-)

21/09/26

21.09.2026

- अतिथि ग्रंथपाल सहायक / अतिथि क्रीड़ा सहायक दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 30,000/-) 1200/- प्रति कार्य

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता विश्वविद्यालय/प्राचार्य ........................ एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन / महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान के इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्तः कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में थे सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

अतिथि व्यवस्था / अतिथि शिक्षण चयन समिति

1. श्री घनश्याम सिंह डड़सेना (संयोजक) 21.09.2026
2. श्री सत्येन्द्र कुमार चतुर्वेदी (सदस्य)
3. श्री पुरुषोत्तम लाल वर्मा (सदस्य) 21/09/2026
4. डॉ. राम नरेश टण्डन (सदस्य)
5. श्रीमति प्रीति कुजुर (सदस्य) 21/09/2026

21/09/26
(राजू लाल कोसरे)
प्रभारी प्राचार्य
शास. नागरिक कल्याण महाविद्यालय
नंदिनी नगर (अहिवारा) दुर्ग (छ.ग.)

प्राचार्य
शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय
नंदिनीनगर (अहिवारा) जिला दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक /1380/GNKM/ स्था. 2026 नंदिनी नगर दिनांक:- 21/09/2026

प्रतिलिपिः-

1. अपर संचालक, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक सी-30 इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ।
3. समस्त प्राचार्य ............महाविद्यालय... अपने सूचना पुटल/पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
4. स्था./ लेखा / प्रभारी, शिक्षक नियुक्ति समिति को सूचनार्थ।

21/09/26
(राजू लाल कोसरे)
प्रभारी प्राचार्य
शास. नागरिक कल्याण महाविद्यालय
नंदिनी नगर (अहिवारा) दुर्ग (छ.ग.)